12.59 hrs.

SATEMENT *RE*: BAN ON COW SLAUGHTER

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri C. Subramaniam): Mr. Speaker, the subject of preservation, protection and improvement of stock comes under entry 15 of List II in the Seventh Schedule to the Constitution and as such is a State subject. The Ministry of Law has advised us that cow slaughter is a subject which falls in the State List and not in the Union or Concurrent List, and State legislatures have exclusive power to make laws on this matter under art. 246(3) of the Constitution. Parliament is not competent to legislate on the subject.

13 hrs.

The same advice was given to this House by the Attorney-General, Shri Setalvad, on the 1st May, 1954, when the Lok Sabha was considering the Indian Cattle Preservation Bill.

The law on the subject has been laid down by the Supreme Court in Mohammed Haneef Quereshi and others *vs.* the State of Bihar as follows:

(1) That a total ban on the slaughter of cows of all ages and calves of cows and she buffaloes, male and female, is quite reasonable and valid and is in consonance with the directive principles laid down in article 48.

(2) That a total ban on the slaughter of she buffaloes, breeding bulls and working buffaloes, cattle as well as buffaloes as long as they are milch or draught, is also reasonable and valid.

(3) That a total ban on the slaughter of she buffaloes, bulls or bullocks, cattle or buffaloes after they cease to be capable of yielding milk or breeding or working as draught animals cannot be considered reasonable in the interests of the general public.

This being a purely State subject the the State Governments have to take a decision regarding the legislation on cows. I would like to give information with regard to the action taken by the various States.

Total ban as laid down by the Supreme Court has been imposed in the following States: (1) Bihar, (2) Gujarat, (3) Madhya Pradesh, (4) Maharashtra in the Vidarbha region, (5) Mysore in the old Mysore areas, (6) Orissa, (7) Punjab, (8) Rajasthan, (9) U. P., (10) Jammu and Kashmir, (11) Delhi by Chief Commissioner's notification.

Partial ban has been introduced by the following States for banning slaughter of young and useful cows only: (1) Andhra Pradesh in the Telengana region, (2) Assam, (3) Madras, (4) Maharashtra in the former Bombay area, and (5) West Bengal.

We are drawing the attention of the States to article 48 of the Constitution which runs as follows:

> "The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle."

Under article 37 in Part IV of the Constitution the directive principles are not enforceable by any court, but the principles laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

These matters are being brought to the attention of the State Governments, and we hope they will give full consideration to these matters.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे सरासर ऐसा दिख रहा है कि केन्द्र इसको टालना चाहता है। यह विषय वास्तव में केन्द्र को अपने हाथ मे लेना चाहिये। इस समय देश की ऐसी परिस्थिति है कि देश के बहुत बड़े बड़े लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार देश के वातावरण को देखते हुए इस विषय को राज्य पर न छोड़ते हुए अपने हाथ मे लेना चाहती है ?

Shri C. Subramaniam: Of course, I have already stated that the sentiments of the people have to be taken into consideration, but this is a matter in which the state Governments alone can function, and therefore here I cannot give any assurance.

श्री हुकम चन्द कछवाय यह ऐसा विषय है . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरी बात सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन ली है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस विषय को राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ना चाहिये।, सरकार इस विषय को टाल रही है, उसको इसे अपने हाथ में लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया है अब आप बैठ जाइये।

श्री हुकम चंद कछवाय : अध्यक्ष महोदय, सरकार को पता नहीं है कि इसके अन्दर . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है, अब आप नहीं समझते तो इसमें मैं क्या करूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इन्होंने यह कहा है कि जो दूध देने वाले नहीं हैं, उनको कत्ल किया जायगा, क्या उनके माता-पिता बूढ़े होंगे, तो उनको भी कत्ल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): This is an old matter. It is true that in May, 1954, the Attorney-General, Mr. Setalvad, gave his opinion before the House that this was a State subject. That does not require any further elucidation. We all understand a little of law and could also easily follow that. Yet the directive principle are the principles of the Constitution, and although we are divided into States, all the State Governments belong to the same party and are under the control of the Union Government. Did the Union Government take steps to inform all the States concerned that the sentiments of the people demand, Supreme Court or no Supreme Court—the decision of the Supreme Court one way or the other never mind, what they have decided is nothing . . .

Mr. Speaker: Order, order.

Shri U. M. Trivedi: You will remember my word, that is not the question. The question is this. The Supreme Court has decided that this law of Bihar is a valid law to this extent and invalid to a particular extent, that is the only decision. I only want to bring it to notice that it is for the State Governments and the Union Government to insist upon the making of this law in terms of the directive principles given in the Constitution and make it absolute. This thing is not possible in this country where on this question of the slaughter of the cow, on sentimental grounds this country had to fight, and fight with those people who claimed themselves to belong to a different nation.

Mr. Speaker: This is not information being sought, that one makes a speech.

Shri U. M. Trivedi: I am asking a question. Has the Government, therefore, made up its mind at this stage

even in view of the sentiments of the public at large of the greatest community here that is living, and in this country alone it is living, and has the demand been made and sent out to the various States that in terms of the directive principles of the Constitution, laws will be made pervading all over the States?

Shri C. Subramaniam: Most of the States, I already gave a list, have already legislated upon this, and they have imposed a ban as far as the Constitution permits it. Subject to that, in the other States also there is a partial ban. The fact that it is the same party that is in power certainly does not alter the Constitution. It is the responsibility of the State Governments and the State legislature to pass the legislation, and we are bringing to their notice the directive principles, and simply because it is in the directive principles I cannot give a directive to them that they should pass such a legislation. Therefore, it is the State Governments which will have to consider, and I am sure all these sentiments, responsible people as they are they would also take into consideration.

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप यहां किस लिये बैठे हैं, केन्द्र इसके लिये कानून बनाये ।

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): The statement of the Minister is welcome as far as it goes. Unfortunately it does not go far enough and falls far short of the expectations in the country. What I would like to know is whether in consonance with the directive principles of State policy embedded in articles 48 the Union Government have sought to secure the concurrence of the State Governments to comply with the provisions of article 48, and secondly whether the Government of India have considered with the various representatives of the State Governments the possibility of placing this subject on the Concurrent List whereby this Parliament would acquire the power to pass uniform legislation available throughout the country; if this is not being done, why not?

Shri C. Subramaniam: The Constitution was passed after full consideration. I do not think simply because a difficulty arises we should immediately change the Constitution.

Dr. L. M. Singhvi: Twenty times it has been changed.

Shri C. Subramaniam: After all, conditions vary from area to agrea. How far a ban should be imposed on all these things is a matter which each State Government should consider with reference to its conditions.

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब ला मिनिस्टर बार-बार संविधान में संशोधन लाते हैं, तब इसका अमेण्डमेन्ट क्यों नहीं आ सकता?

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोले चले जा रहे हैं?

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं इस कठिनाई का हल बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मना किया है, आप इस तरह से क्यों बोले चले जा रहे हैं।

Shri Tyagi (Dehradun): I am surprised. So many bigger States have provided already. Is that point not being appreciated by Members?

Shri C. Subramaniam: As far as I am concerned, we are functioning under the existing Constitution.

Shri Ranga (Chittoor): In view of the fact that the ruling party also seems to be in favour of this banning of slaughter of cattle which are really necessary for agricultural purposes, and all the political parties also are in favour of it, may I know whether they would make a categorical statement for the benefit of their own party as well as the country as a whole that

[Shri Ranga.]

they would use their good offices with the State Governments, with the State Parties to see that this particular demand being a national demand is out out of the areana of party politics? To the extent the State Governments would be able to find time in their legislative programmes, they should try to give priority and try to give effect to national sentiment.

Shri C. Subramaniam: Unfortunately, this matter is raised just on the eve of the elections when the legislatures would not be able to take up this matter. I am sorry that the suggestion is just now being made. After all this could have been taken up even in the first year as soon as we assembled here but this is always taken up on the eve of elections. When the Chief Ministers were here we had discussions with them . . . (*Interruptions.*) We have brought it to the notice of the Chief Ministers.

Shri Tyagi: My friend has taken the wind out of their sails.

Shri Hem Barua (Gauhati): Personally speaking, I am not interested in the election stunts and I am not going to put this question because of the elections. The State of Jammu and Kashmir has imposed a ban on cow slaughter for the last 14 years . . (An Hon. Member: 100 years or more) My information from a Minister from Kashmir is that the ban has been there for 14 years, I want the cow to be preserved not on religious grounds but on economic grounds. Why is it that the Union Government is not for a uniform pettern of philosophy for this country, political attitude in this country and why is it that they have not suggested to state Governments to follow a uniform pattern or the Union Government had not laid down a uniform pattern?

Shri C. Subramaniam: Take prohibition. There is in the directive principles provision that there should be prohibition. We put it there but still we are unable to make the state legislatures to pass laws. We want to have prohibition in every part of the country. We will have to carry the states with us, discuss with them, argue with them and try to carry them with us. As long as the constitutional responsibility is on the states, we can only argue with them.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय कांग्रेस के मंच से स्वतन्त्र भारत में किन किन बातों में सुधार किये जायेंगे इस तरह की कुछ घोषणायें की गई थीं । उनमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भाषावार प्रान्तों के निर्माण की बात थी । इनके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत के स्वतन्त्र होते ही दिल्ली के लाल क़िले पर से घोषणा की जायेगी कि गोवध पर आज से कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है । लेकिन इस समय भी गोहत्या हो रही है ।

आज भारतवर्ष में जो गायों की हत्या हो रही है वह तीन कारणों से हो रही है । पहली तो यह कि कुछ लोग गोमांस खाते हैं, दूसरे भारत सरकार विदेशों को गोमांस भेजती है और गायों के गर्भ में जब बच्चा रहता है उसको मार कर उसके चमड़े से विदेशी मुद्रा का अर्जन करती है ।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

दूसरे माननीय सदस्य : यह सही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह सरकारी आंकड़े हैं और सरकार की ओर से छपे हैं ।

तीसरे यह कि हमारे देश से अनुपयोगी पशुओं के बहाने पर्वतीय क्षेत्रों में और जो पंजाब का लगता हुआ पाकिस्तानी इलाक़ा है वहां से तिब्बत के रास्ते चीन में भेज दिये जाते हैं । इन विषमताओं को देख कर अट्ठारह हजार देश के साधु महात्माओं ने सरकार के दरवाजे पर आवाज़ लगाई । इतने समय में यह जान लेना चाहिये कि

अभी मौका है कि स्थिति को बिगड़ने से बचाया जाये । सरकार अपना मन बनाये और स्पष्ट रूप से कोई घोषणा करे ।

यहां श्री सत्य नारायण सिंह बैठे हुए हैं जो कि सदन के नेता हैं । उन्हें यह पता है कि हिन्दू धर्म में जगद्गुरु शंकराचार्य का कितना बड़ा स्थान है । जगद्गुरु शंकराचार्य, ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी, मनि सुशीलकुमार जी, सनातन धर्म सभा, आर्य समाज और न जाने कितनी संस्थाओं ने कहा है कि यह धार्मिक के साथ साथ भावनात्मक और आर्थिक बात भी है । पिछले दिनों जो नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई, जिसके पहले सरकार वक्तव्य देने में कुछ हिचक रही थी और कह रही थी कि नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हो जाये उसके बाद हम इस प्रश्न पर कोई अपना मत देंगे, उसके बाद प्रधान मंत्री ने जो बयान दिया उससे तो यही मालूम होता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा और वह भी मरा हुआ । उसमें कोई जीवन नहीं है । सरकार का जो बयान हुआ उससे तो वह एक कदम पीछे हट गई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न किसी प्रकार नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल में आया था । यदि आया था तो जिन राज्यों के मंत्रियों के यहां गोवध जारी है उन्होंने क्या कठिनाई व्यक्त की जिस के कारण वह अपने राज्यों में गोवध बन्द नहीं कर सकते? और उन राज्यों के मंत्रियों को क्या इस बात के लिये प्रेरित नहीं किया गया कि वे अपने यहां गोवध रोकने के लिये कानून बनायें । क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिये कोई प्रयत्न कर रही है ।

Mr. Speaker: I should not have allowed him to go on like that.

Shri C. Subramaniam: As far as the national development council is concerned . . .

Mr. Speaker: That is the only question. What happened in the Chief Ministers' conference?

already said that a majority of the States have already passed laws, only a few are left. We had discussions with those chief ministers of states where the ban had not been there.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अभी जो कहा जा रहा है कि यह राज्यों का विषय है कि यह मिथ्या है क्योंकि हमारा जीवन भोजन, वस्त्र और निवास पर आधारित है । हम को भोजन न मिले, वस्त्र न मिले, मकान न मिलें, तो हम जीवित नहीं रह सकते, चाहे हम राज्यों में हों या केन्द्र में हों । हमारे भोजन, वस्त्र और निवास का सारा सम्बन्ध जो है वह गाय आदि उपयोगी पशुओं के साथ है । इसलिये यह कहना कि यह राज्य सरकारों का काम है यह मिथ्या कल्पना है । केन्द्र के लोग कपड़े उतार दें, भोजन करना बन्द कर दें क्योंकि इसमें हमारी गायों का भी हिस्सा है, अगर यह राज्यों का विषय है ।

दूसरी बात यह कही जा रही है कि चूंकि चुनाव पास आ रहे हैं इसलिये गोवध बन्द करने की बात कही जा रही है । अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा, गत वर्ष मैंने इस संसद् भवन के सामने पन्द्रह दिन तक अनशन किया था और आप ने भी कहा था कि सरकार के कान तक बात पहुंच गई है ।

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरी बात कहिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह सरकार का कहना बिल्कुल मिथ्या है । यह स्वयम् सरकार का प्रपंच है कि हम राजनीतिक दृष्टि से कह रहे हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार का एक विधेयक स्वयम् बनाये नहीं तो इस देश के लोगों का भोजन वस्त्र सब कुछ असम्भव हो जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के सामने क्या कठिनाई है जिसके कारण वह इस प्रश्न को राज्य सरकारों पर छोड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो तीन दफे बतला चुके हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : नहीं बतला चुके हैं। बिल्कुल नहीं बतलाया है। उन्हें बतलाना होगा कि उनके सामने क्या कठिनाई है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बतलाया है कि जो हमारा संविधान है उसमें यह स्टेट्स का मामला है और वह उनको मजबूर नहीं कर सकते।

श्री रामेश्वरानन्द : यह सारे देश का मामला है। वह बैलों की जोड़ी पर वोट मांगते हैं। केन्द्रीय सरकार के लोग बैलों की जोड़ी के नाम पर राय ले कर आये हैं इसलिये यह केन्द्र का मामला है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : वह अपना चुनाव चिह्न बदल दें।

श्री रामेश्वरानन्द : वह बैलों की जोड़ी पर चुनाव लड़ कर आये हैं इसलिये यह केन्द्र का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं ग्रुप लोडर से कहूंगा कि वह समझायें कि सरकार बैलों की जोड़ी पर चुनाव लड़कर आई है तब भी यह केन्द्र का मामला नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : यह केन्द्र का मामला है, नहीं तो वह अपना चुनाव चिह्न बदल दें।

एक माननीय सदस्य : हम को इसका जवाब दिलाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैं जवाब दे रहा हूं कि यह कोई वजह नहीं है कि चूंकि उनका एलेक्शन सिम्बल यह है इसलिये यह केन्द्रीय सरकार का मामला है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं इस बात को नहीं मानता। यह बैलों की जोड़ी पर चुनाव लड़ कर आये हैं। वह क्यों अपना चुनाव चिह्न नहीं बदलते।

अध्यक्ष महोदय : यह गोवध का मामला बहुत नाजुक है इसलिये मैं इतना बर्दाश्त कर रहा हूं, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आप को निमन्त्रण देता हूं आप बर्दाश्त न करें। आप हमारे अधिकार को दबाते हैं। हम ने प्रश्न किया है कि चूंकि वह बैलों की जोड़ी के नाम पर राय ले कर आये हैं इसलिये यह उनका विषय क्यों नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। आप ने कह दिया जो आप को कहना था और मैं ने फैसला दिया है। अब आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : आप ने जवाब दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह जवाब दें कि क्यों यह केन्द्र का विषय नहीं है क्यों चुनाव लड़ कर आये हैं बैलों की जोड़ी पर। मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ग्रुप लोडर से कहूंगा कि वह उनको समझायें।

श्री रामेश्वरानन्द : यह लोडर का विषय नहीं है। इसका केवल जन संघ से सम्बन्ध नहीं है, सारे देश से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत मैंने आपको सुन लिया है। मुझे ऐसी पोजिशन में न डालें कि कोई एक्शन मुझे लेना पड़े। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अब आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : आप ऐसा कहने में स्वतंत्र हैं। आपके हाथ में सत्ता है। आप इस तरह से कह सकते हैं

अध्यक्ष महोदय : मेरी सत्ता को आप मानते नहीं हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं मान तो रहा हूं। लेकिन वह जवाब ही नहीं देते हैं। दो बातों में से एक कर लें। या तो बैलों की जोडी के नाम पर वोट न मांगे या फिर यह कहे कि

हमारा यह विषय है । दोनों में से एक काम कर लें ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बैठ जाता हूं । जवाब दिलाइये ।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दिलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसका जवाब बार बार दिया है । यह आप कैसे पूछ सकते हैं कि चूंकि उनका इलैक्शन सिम्बल है, इसलिए सैंट्रल सबजैक्ट यह होना चाहिये ?

श्री रामेश्वरानन्द : मुझे जवाब मिलना चाहिये । मैं भी लोक सभा का सदस्य हूं और लोगों ने मुझे चुन कर भेजा है । मुझे जवाब मिलना चाहिये ।

Shri Ranga: Let the Minister repeat his own answer.

Shri C. Subramaniam: I have to function under the Constitution. Under the Constitution, it is the State Governments' responsibility. Whatever influence we may exert on the State Governments, certainly we cannot compel them. As I have said, we have already had discussions with all the Chief Ministers concerned, and I think they would give proper consideration to these matters.

श्री हुकम चन्द कछवाय : संविधान में संशोधन करवाइये न । घोड़ा आप अपना चुनाव चिह्न ले लें ।

श्री रामेश्वरानन्द : बैलों की जोड़ी पर चुनाव आप लड़ कर आये हैं । इसको न रखें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : गधे को चुनाव चिह्न रखें । बैलों को क्यों रखते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी मैंने आपको बहुत सुन लिया है । अब आप मुझे चलने दीजिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जवाब चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बाहर चले जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं मजबूर हूं । मैं जाने वाला नहीं हूं । मुझे यहां लोगों द्वारा भेजा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कार्रवाई भी नहीं चलने देंगे ।

श्री रामेश्वरानन्द : कार्रवाई आप चलायें । लेकिन प्रश्न का जवाब तो दिलायें ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर आ गया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : और कार्रवाई नहीं चलने देंगे ?

श्री रामेश्वरानन्द : खब ,चलायें । मैं मना नहीं करता हूं । लेकिन उत्तर आना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब मजबूर हो गया हूं । मैं स्वामी जी को नाम लेकर पुकारता हूं कि वह हाउस की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं और रुकावट डाल रहे हैं जानबूझकर और मुसलसल तौर पर . . . .

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): Have you named him?

Mr. Speaker: Yes; I have named Shri Rameshwaranand.

श्री रामेश्वरानन्द : मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिये । या तो बैलों की जोड़ी के नाम पर ये राय न मांगें . . .

श्री त्यागी : मुझे भी एक सवाल करने का मौका दें ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : जरा विचार करके जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि मेम्बर साहिबान इस तरह से खड़े हो कर बोलना शुरू कर देते हैं और जब कोई मेम्बर इस तरह से रुकावट डालता है तो कोई एक मेम्बर भी उनको नहीं कहता है कि रुकावट न डालें और काम चलने दें। एक मेम्बर भी अपोजीशन से यह नहीं कहता है कि यह बात नाजायज है ।

श्री रामेश्वरानन्द : कौन से अन्याय की बात मैं कर रहा हूं। जिस तरह से कौरवों के राज्य में भीष्म पितामह हुआ है उसी तरह से हम आपको भी यहां देखते हैं। लेकिन आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं . . .

श्री त्यागी : मैं तजवीज करता हूं कि जो आपने तजवीज़ फरमाई है इस मामले में उसको आप रोक लें और स्वामी जी को एक मौका और दे दें। मेरी अपील है कि वह बाहर चले जायें। कुछ उनकी सूझबूझ की भी गलती है। आप अगर बैठ जायेंगे तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इनको और एक मौका दे दिया जाये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं भिक्षा नहीं लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रश्न है उसका मुझे जवाब मिले। आप मुझ को फांसी लटकाना चाहते हैं तो लटका लें। जब यहां लाखों गो हत्यायें हो रही हैं तो मेरे जैसे को मार दें तो कोई बात नहीं है ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): He is willing to go.

Mr. Speaker: Even if he goes now, I will certainly not take any further action.

मैं रुकता रहा हूं। मैं सब्र करता रहा हूं। लेकिन मेरे लिए कोई चारा नहीं रहा है। जैसा कि त्यागी जी ने कहा है मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : बार बार यह कह रहे हैं कि प्रान्तीय सरकारों की यह जिम्मेदारी है। इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री मौर्य : कोई भी सजा देने से पहले सोचना चाहिये कि सदन का कोई सदस्य जिस बात को कह रहा है उसमें कितना बल है। बगैर उसको जाने हुए, बगैर उसको समझे हुए उसको बाहर निकालना या सजा देना कोई उचित बात नहीं होगी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उस पर जो उत्तर श्री सुब्रह्मण्यम साहब ने दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त उनके उत्तर को मैं नहीं ले रहा हूं ।

श्री मौर्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो आप सुन लें। एक क्षण के लिए मैं आपका समय चाहता हूं। इस बात के ऊपर राष्ट्र की जिम्मेदारी है ।

अध्यक्ष महोदय : जो काम मैं पहले से कर रहा हूं उसको हो लेने दीजिये। इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

(इसके बाद श्री रामेश्वरानन्द उठकर चले गये)

श्री हुकम चन्द कछवाय : संविधान में संशोधन करने का क्या सरकार विचार रखती है? जब तक संशोधन नहीं करती है तब तक बैलों की जोड़ी पर चुनाव न लड़ने का क्या सरकार विचार रखती है? क्या इस बात को सरकार मानती है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को मौका दे चुका हूं। अब आप बैठ जाइये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उत्तर तो आना चाहिये ।

श्री मौर्य : क्या आगे आप चले जायेंगे, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप का व्यवस्था का प्रश्न है ? रुकावट ही आप डालेंगे ।

श्री मौर्य : पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका दिया है। मंत्री महोदय ने अभी अपने उत्तर में कहा है कि इसके बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रान्तीय विषय है और इसमें हम कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि हमारे देश में एक संविधान है और उस संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज दिये हुए हैं जो हमारे सभी कार्य कलापों को गाइड करते हैं। आज कांग्रेस की सरकार है तो वह इन से गाइड होती है और कल को कोई दूसरी सरकार आ जायेगी तो वह इनसे गाइड होगी। इन डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्ज को सामने रखते हुए ही हमें कानून बनाने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज में जो आर्टिकल 48 है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : इसको उन्होंने पढ़ दिया है।

श्री मौर्य : फिर कैसे कहते हैं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : पढ़ कर उन्होंने इसको सुनाया है।

श्री मौर्य : किन्होंने सुनाया है।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर ने पढ़ा है। इसको रेफर किया है। श्री सिद्धान्ती।

श्री हुकम चन्द कछवाय : ये टालना चाहते हैं।

श्री मौर्य : डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज को चलाना, इनको लागू करना क्या केन्द्र की जिम्मेवारी नहीं है ?

श्री त्यागी : मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में यह कहा है कि बिहार, गुजरात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, इनमें कतई तरीके से गोकशी बन्द कर दी गई है और दूसरे आंध्र प्रदेश . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह सब तो हाउस को मालूम है।

श्री त्यागी : . . . आंध्र प्रदेश, असम, मद्रास, महाराष्ट्र, वैस्ट बंगाल में लाभकारी जो पशु हैं, गय है, बछड़ा है उनको मारना कानूनन बन्द कर दिया गया है, करीब करीब सारे हिन्दुस्तान में बन्द है तो मैं जानना चाहता हूं कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो मैंने सिद्धान्ती जी को बुलाया है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : भारतीय संविधान की कई धारायें अब तक बदली जा चुकी हैं। जब आदमी कानून बनाता है तो वह कभी पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं भारत सरकार इस कानून को बदलती है और कहती है कि यह स्टेट सबजैक्ट नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष का यह विषय है इस कानून को आप बदलो। अगर आप नहीं बदलेंगे तो वक्त आ रहा है कि फिर हमें जबर्दस्ती इस कानून को बदलना पड़ेगा।

Shri C. Subramaniam: If he wants to change a State subject into either a concurrent subject or a Central subject, the State legislatures will have to agree first to this change. I do not think, for this purpose, the Constitution need be amended.

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्यों टाला जा रहा है। पहले भी मैंने कहा है कि टाला जा रहा है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या आपत्ति है इसको बदलने में ? हम तैयार हैं कहने को कि बदलो।

श्री त्यागी : बहुत तसल्ली की बात है कि आप ने करीब करीब सारे देश में गोवध बन्द कर दिया है कानूनी तौर से . . . .

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : गलत है ।

श्री त्यागी : क्या गवर्नमेंट ने इस बात पर विचार किया है कि जहां कहीं निकम्मी गायें हैं या पशु मारे जाते हैं . . .

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : निकम्मी होती ही नहीं हैं । एक गाय के गोबर से 54 रुपये मिलते हैं और उसके चारे पर 36 रुपये खर्च होते हैं । मरी से मरी गाय भी नाकारा नहीं होती है ।

श्री त्यागी : जो गोमांस खाते हैं उनके लिए निकम्मी नहीं हैं लेकिन जो नहीं खाते हैं और जो दूध नहीं देती हैं, बच्चा नहीं देती हैं उनका पालन पोषण आजकल के जमाने में बहुत खर्चीला पड़ता है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि गो रक्षा के लिए क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि बूढ़ी गायें जो घर में किसी काम नहीं आ सकती है, उनके पालन पोषण के लिए पशु लोक के तरीके पर जगहें बनाई जायें ताकि उनकी रक्षा भी हो सके और कुछ उनका इंतजाम भी किया जा सके ?

Mr. C. Subramaniam: We have a programme for *goshalas* for the protection of useless cattle.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : सरकार हमेशा यह कहती है कि यह राज्य गांधी जी के आदेशों के अनुकूल चल रहा है । गांधी जी ने कहा था कि अगर गो-हत्या बन्द नहीं हुई, तो स्वराज्य एक खिलौना होगा । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह इस खिलौने को लेकर और कागजी कुर्सियों पर बैठ कर कब तक हिन्दुस्तान को इस तरह से अन्धेरे में रखेगी । सरकार आज कोई एक्शन ले और बताये कि स्टेट्स को क्यों बीच में डाला जा रहा है । जब टैक्सों के कानून पास होते हैं, तो स्टेट्स बीच में नहीं आती हैं । जब लाखों गैलन शराब बेची जाती है, तो स्टेट्स बीच में नहीं आती हैं । जब सरकार अपनी मन-मानी करती है, तो स्टेटस बीच में नहीं आती हैं, लेकिन जब गांधी जी के कथनानुसार गो-हत्या बन्द करने का प्रश्न आता है, तो सरकार स्टेट्स का बहाना ले कर कोई कार्यवाही करने से इन्कार करती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का कोई जवाब नहीं है ।

13.31 hrs.

Re. DEMANDS OF GOLDSMITHS

Mr. Speaker: Mr. Bhagat would be making a statement tomorrow.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, हम उस वक्तव्य के लिए तैयार बैठे हुए हैं । वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । मंत्री महोदय आप ही वह वक्तव्य क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले ही इतना वक्त लग गया है । अब अगर गोल्ड कंट्रोल के बारे में स्टेटमेंट पर वक्त खर्च किया जाये, तो लेजिस्लेटिव बिजिनेस कब शुरु होगा ? कई मेम्बर साहबान कार्यवाही में रुकावट डालते रहते हैं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): It will not take more than 15 minutes. Kindly let him make the statement.

Mr. Speaker: All right; after 15 minutes I will go to the next item of business.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): The representatives of the All-India Swarnkar Sangh, along with two hon. Members of Parliament, Mr. Tridib Kumar Chaudhuri and a member from the other House, met me. We had a full discussion. In the course of the discussion the members of the Sangh raised some of their demands. I have noted their demands and I have brought them to the notice of the Finance Minister, who is also seized of this matter. We are looking into it.

Shri Solanki (Kaira): What statement is this that they are looking into it?